प्रकरण संख्या 5/2024 मुकेश बनाम श्रीमती लक्ष्मी कुंवर व अन्य

च्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.03.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के पति तेजकरण की तीन पत्नियों श्रीमती उदय कुंवर, श्रीमती राज कुंवर, श्रीमती सौभाग्य कुंवर का देहावसान हो चुका है तथा प्रार्थी ही एक मात्र जीवित पत्नी है। राज कुंवर की एक पुत्री श्रीमती उत्सव कुंवर थी, जिसकी मृत्यु हो चुकी है तथा श्रीमती उदय कुंवर भी निसंतान फोत हुई, जबकि श्रीमती सौभाग्य कुंवर की पुत्रियां हर्ष कुंवर, पुष्पा कुंवर व अरूणा कुंवर होकर अपने ससुराल में रहती हैं, जो विपक्षी संख्या 1 से 3 हैं। श्रीमती उत्सव कुंवर के वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। तेजकरण जी ने अपने जीवनकाल में अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति की वसीयत दिनांक 21.03.1987 को प्रार्थीया के पक्ष में कर दी थी। उक्त सम्पत्तियों का विवरण प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर कुल खेत 62 रकबा 6.88 हैक्टर है। उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 5/255 दिनांक 27.11.1987 प्रार्थीया के हक में स्वीकृत हुआ, जिससे असन्तुष्ट होकर विपक्षी संख्या 1 से 3 ने सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी बांसवाड़ा में अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 27.01.1988 को स्वीकार की गयी, जिसके विरूद्ध प्रार्थीया ने भू–प्रबन्ध आयुक्त जयपुर में अपील प्रस्तुत की, जो प्रार्थीया के विरूद्ध दिनांक 10.06.1992 को निर्णित हुआ, जिसके विरूद्ध प्रार्थीया ने निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल ने दिनांक 20.01.1997 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीया को वसीयत के आधार पर घोषणा करने हेतु स्वतंत्र माना। इसी कारण प्रार्थीया द्वारा इस प्रार्थना पत्र के साथ घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। विवादित भूमि पर कब्जा प्रार्थीया का चला आ रहा है, अन्य किसी का कोई कब्जा नहीं है तथा विवादित भूमि स्वर्गीय तेजकरण की स्वअर्जित होने से उन्हें वसीयत करने का पूर्ण अधिकार	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:04:11 IST
Reason: SelfAttested

था। विपक्षीगण प्रार्थीया के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.02.2024 को प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया तत्पश्चात दिनांक 11.06.2024 को यह आदेश पारित किया कि मूलवाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है, लिहाजा प्रार्थना पत्र को जारी रखे जाने का कोई औचित्य नहीं होने से प्रकरण में कार्यवाही पूर्व आदेशिका अनुरूप ड्रोप की जाती है, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 9 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवत पुरी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 9 की ओर से अधिवक्ता अनुराग जैन उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार जैन उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने विभाजन का वाद पेश नहीं किया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन का वाद प्रस्तुत होना मानकर विभाजन नहीं हो तब तक भूमि हस्तान्तरित नहीं किये जाने बाबत अंतरिम आदेश दिनांक 22.02.2004 को पारित किया। इसके बाद दिनांक 30.04.2024 को पीठासीन अधिकारी नहीं होने से आगामी पेशी दिनांक 11.06.2024 नियत की गयी तथा पूर्व आदेशिकाओं के आधार पर प्रकरण जारी रखने का औचित्य नहीं होना मानकर कार्यवाही ड्रोप करने का आदेश पारित कर दिया, जो गैर कानूनी हो कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग है। प्रार्थीया के पक्ष में जो नामान्तरकरण स्वीकृत हुए उसके विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट संख्या

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:04:11 IST
Reason: SelfAttested

2 से 4 द्वारा प्रस्तुत अपील सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा स्वीकार की जाकर उक्त नामान्तरकरण को निरस्त किया गया है, जिसके विरूद्ध प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील भू–प्रबन्ध आयुक्त जयपुर द्वारा खारिज की जा चुकी है तथा उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी भी माननीय राजस्व मण्डल द्वारा खारिज की जा चुकी है, जिससे स्पष्ट है कि तथाकथित वसीयतनामा बनावटी व कूटरचित है, जिसके आधार पर वादिया/प्रार्थीया को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार वादिया व प्रतिवादीगण स्वर्गीय तेजकरण के प्रथम श्रेणी के वारिस होने से वादग्रस्त भूमियों उनके नाम दर्ज की गयी हैं। वादिया द्वारा उक्त वसीयत पर प्रोबेट जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र जिला न्यायाधीश बांसवाड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो खारिज हो चुका है। प्रोबेट याचिका के विचाराधीन रहने के दौरान वादिया ने उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा में घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जो वसीयतनामे के आधार पर होकर खारिज हो चुका है। इस प्रकार घोषणा के दावे का अंतिम रूप से निस्तारण हो चुका है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.04.2024 को यह आदेश पारित किया कि ''प्रकरण में मूलवाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधज्ञा जारी की जा चुकी है लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 रा.का.अ. का जारी रखने का कोई औचित्य नहीं लिहाजा प्रकरण में कार्यवाही पूर्व आदेशिका अनुरूप ड्रोप की जाती है। प्रकरण फैसल शुमार कर दाखिल दफ्तर अधीनस्थ न्यायालय का

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:04:11 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आदेश विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि उक्त आदेश के साथ न तो कोई पृथक से निर्णय लिखाया गया है, न ही कार्यवाही ड्रोप किये जाने का क्या औचित्य है, इसका कोई ठोस कारण स्पष्ट नहीं किया है। जबकि विधि अनुसार प्रकरण अस्थायी निषेधाज्ञा का होने से अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं का विवेचन किया जाना आवश्यक होता है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 46/2023 निर्णय दिनांक 11.06.2024 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं का विवेचन करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.05.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:04:11 IST
Reason: SelfAttested